रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 1987/आषाढ़ 29, 1909
No. 383] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 1987/ASADHA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1987

अधिसूचना

187/87—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 667 (अ):—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार जो उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अंतर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन साधारणतया प्रचलित थी, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची, जैसी कि यह 28 फरवरी, 1986 के पूर्व विद्यमान थी, की मद सं. 23-क के अंतर्गत आने वाले कांच और कांच की वस्तुओं पर और जिनका उपयोग उक्त मद सं. 23-क के अंतर्गत आने वाले

अन्य कांच और कांच की वस्तुओं के आगे विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखाने में किया गया था, उत्पाद शु
1 मार्च, 1984 को प्रारंभ होने वाली और 6 मई, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, केन्
सरकार द्वारा, उक्त अवधि के दौरान, प्रभार्य उत्पाद-शुल्क की बाबत जारी की गई किसी अधिसूचना के स
पठित, उक्त धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था ;

और ऐसे कांच और कांच की वस्तुओं पर विशेष उत्पाद-शुल्क की उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसे श
के उद्ग्रहण की बाबत सुसंगत विधि के अधीन उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नि
देती है कि यदि उक्त प्रथा न होती, तो ऐसे कांच और कांच की वस्तुओं पर उक्त अधिनियम के अधीन
उक्त विधि के अधीन संदेय संपूर्ण उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क, ऐसे कांच और कांच की वस्तु
बाबत संग्रहीत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क या विशेष उत्पाद-शुल्क, उक्त प्रथा
अनुसार, उपर्युक्त अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था।

[फा.सं. 132/2/85-के.उ.शु.

एस.सी. जाना, अवर सचि

MINISTRY OF FINANCE

New Delhi, the 20th July, 1987

NOTIFICATION

No. 187/87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 667(E).—Whereas the Central Government is satisfied that cording to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises a Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on glass and glassware, fall under Item No. 23A of the First Schedule to the said Act, as it existed pr to the 28th February, 1986 and used within the factory of production further manufacture of other glass and glassware, falling under the said No. 23A, was not being levied during the period commencing on the March, 1984 and ending with the 6th May, 1984, under the said section read with any notification issued by the Central Government in relation the duty of excise so chargeable during the said period ;

And whereas the special duty of excise on such glass and glassware w also not being levied under the relevant law relating to the levy of such du during the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise and the special duty of excise payable under the said Act or under the said law, on such glass and glassware, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such glass and glassware on which the said duty of excise or the special duty of excise were not being levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 132/2/85-CX.4]

S. C. JANA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987